भारत सरकार
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलेंड, कोचिन- 682009
Fax: 0484-2668468
Website : www.cochincustoms.gov.in
e-mail : cochincustoms@nic.in
Sevottam compliant

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
CUSTOM HOUSE, W/ISLAND, COCHIN- 682009
टेलीफोन 0484-2666861 to 2666864
Telephone 0484-2666774 / 2666776
Control Room 0484-2666422
An IS 15700 certified Custom House

परिपत्र CIRCULAR. No. 07 / 2016

विषय : सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति- दिनांक 29.04.2016 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त्त- संबंधित

Sub: Customs Clearance Facilitation Committee–Minutes of the meeting held on 29.04.2016—Reg.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की 10वीं बैठक दिनांक 29.04.2016 को दोपहर 3:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ के.एन.राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 10th meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee was held at 3.30 PM on 29.04.2016 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे : सर्वश्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present for the meeting
S/Shri/Smt:

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. S. Srimathi, Dy. Commissioner
3. V.Umadevi Dy.Commissioner
4. Mohammed Rafeek, Asst. Commissioner
5. Jimmy Joseph, Asst. Commissioner
6. Debashish Paul, Asst. Commissioner
7. Prameela Rose, Asst. Commissioner
8. Bhuvanachandran P., Scientist 'D', NIC
9. Prasanth K C S., Superintendent of Customs
10. C.T.Suja., Superintendent of Customs

Representatives of agencies/ stake holders interacting with Customs:

S/Shri:

1. Jimmy George,Sr.D.T.M, Cochin Port Trust
2. D.Iyyanar, Plant Quarantine Station
3. Milu Mathew, Plant Quarantine Station
4. R. Sekar, Container Corporation of India Ltd, Cochin
5. J. Raghupathy, Central Drugs Standard Control Organisation
6. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
7. Midhun Murali, FSSAI, Cochin
8. K T Jayarajan, Textiles Committee.
9. Jibu K Itty, DP World, Cochin

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और सभी सदस्यों को हाल ही में कार्यान्वित की गई 'सिंगल विंडो प्रणाली' से अवगत कराया। उन्होंने सभी सदस्यों को सूचित किया कि यह परियोजना 1 अप्रैल से कार्यान्वित की गई है; और यह कि संयंत्र संगरोध एजेंसी से-और-को आंकड़े भेजना काफी हद तक संयत हो गया है; और यह कि एफएसएसएआई द्वारा संदेश भेजे और पुन:भेजे जाने पर भी एफएसएसएआई का जवाब स्क्रीन पर नहीं देखा जाता है; और यह कि इससे कारगो की निकासी में रुकावट नहीं हुई क्योंकि एफएसएससी द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाने के तुरंत बाद आगम पत्र स्वत: 'आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज' पंक्ति में चले जाते हैं। अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस विसंगति को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। पशु संगरोध क्लियरेंस की आवश्यकता वाले प्रेषित माल के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यद्यपि सचिव, कृषि मंत्रालय द्वारा कोचिन और वैज़ैग से आयातित प्रेषित माल को पशु संगरोध विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र के स्थान पर सीआईएफटी के प्रमाणपत्र के आधार पर निकासी की अनुमति देने हेतु परिपत्र जारी कर दिया है, फिर भी आगम पत्र पुन: पशु संगरोध विभाग की पंक्ति में फंसे रहते थे जिससे वे पंक्ति में अटके रहते हैं और आगे निकासी प्रक्रिया चलानी असंभव हो जाती है; और यह कि फिलहाल ऐसे मामलों में सीमाशुल्क हाथ से निकासी जारी करता था; और यह कि इस मामले को चिह्नित कर महानिदेशक (सिस्टम) के साथ उठाया गया है; और यह कि इस गलति को सुधारने के लिए जल्द से जल्द उपाए किए जाएंगे। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने समुद्री निर्यातकों/आयातकों के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया भी मांगी। हालांकि, उक्त क्षेत्र के कोई प्रतिनिधि न होने के कारण अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची की अन्य

मदों पर चर्चा शुरू की। पिछली बैठक के किसी भी मामले पर अनुवर्ती कार्रवाई आवश्यक नहीं थी इसलिए नए बिंदुओं पर चर्चा शुरू की गई।

The Commissioner welcomed all members and appraised the members of the status of the recently implemented "Single Window System". He informed all members that the project had been implemented from 1st of April; that data transmission to-and-from Plant Quarantine Agency was fairly stabilised; that though messages were being transmitted and re-transmitted from FSSAI, the response messages from FSSAI was not visible on-screen; that however it did not cause hindrance in clearance of import cargo as the bills of entry automatically moved to the 'Out of Customs Charge' queue as soon as NOC was granted by FSSAI. The Chair informed that this anomaly would be rectified at the earliest. Regarding consignments that required Animal Quarantine clearance, it was informed by the Chair that though the Secretary, Ministry of Agriculture, had issued Circular permitting clearance of consignments imported through Cochin & Vizag ports on the basis of certificate from the CIFT instead of NOC from the Animal Quarantine Department, the bills of entries were again looping into the queue of the Animal Quarantine department thereby getting stuck in the queue and being unable to be processed further for clearance; that currently in such cases the customs department was issuing manual clearance; that the matter was flagged and brought to the notice of DG (System); that measures were taken to rectify the error at the earliest. In this regard, the Chair also sought feedback from the representatives of marine exporters/importers. However, as there were no representatives from said sector, the Chair proceeded to examine other points in the agenda. Since none of the issues discussed in the previous meeting required follow up action, new points were taken for discussion.

<u>सदस्यों द्वारा उठाए गए नए मुद्दे Fresh Points Raised by the Members:</u>

<u>बिंदु 1 : एफएसएसएआई द्वारा निकासी के लिए लंबित माल की सूची</u>

<u>POINT 1: LIST OF CONSIGNMENTS PENDING CLEARANCE BY FSSAI</u>

डॉ. गेस्टो जोर्जः सीफूड आयातक सामान्य रूप से एफएसएसएआई लाइसेंस के बिना ही माल का आयात करते हैं; और यह कि वे माल के आयात के बाद लाइसेंस बनवाने लगते हैं इसलिए ऐसे माल की निकासी में देरी होती थी।

Dr.Gesto George: Importers of seafood usually imported the consignments without FSSAI licence; that they sought for licence after importing the consignments and hence there was delay in clearance of such consignments.

अध्यक्ष महोदय ने पाया कि निकासी के लिए लंबित कुल 7 सामानों में से केवल 2 सामान ही 3 हफ्तों से अधिक समय से रोका गया था; और यह कि दूसरे सारे माल की निकासी आयात के कुछ दिनों के भीतर ही कर दी गई थी और एफएसएसएआई की ओर से बहुत कम देरी हुई थी। अध्यक्ष महोदयने डॉ. गेस्टो जोर्ज से निकासी के लिए लंबित माल की स्थिति की जांच करने का अनुरोध किया।

The Chair observed that out of the 7 consignments presently pending clearance, only 2 consignments had been held up for about 3 weeks; that all other consignments were cleared within a few days of import and that there was only minimal delay from the side of FSSAI. The Chair also requested Dr.Gesto George to look into the status of the consignments pending clearance.

<u>बिंदु 2 : ड्रग्स/ - सीटीएच की गलत घोषणा</u>

<u>POINT 2:DRUGS/ DIAGNOSTIC KITS AND REAGENTS-MISDECLARATION OF CTH</u>

श्री जे. रघुपतिः पोर्ट के माध्यम से आयातित कोई भी ड्रग्स/ सिंगल विंडो सिस्टम में दिखाई नहीं दे रहा है; और यह कि उनको मिलने वाले सभी बिल मैनुअल आगम पत्र थे; चूंकि आयातक सीटीएच की गलत घोषणा कर रहे हैं इसलिए सिंगल विंडो में शामिल किए गए जोखिम मापदंड माल की पहचान नहीं कर पा रहे हैं।

Sri.J.Raghupathy: None of the consignments of drugs/ diagnostic kits and reagents imported through the port was being seen in the single window system; that all the bills they received were manual bills of entry; that the consignment was not being picked up by the risk parameters included in the single window system as the importers were probably misdeclaring the CTH .

श्री डी. पॉल (सहा. आयुक्त)/श्रीमती प्रमीला रोस (सहा. आयुक्त) ने सूचित किया कि ऐसा कोई भी मामला विभाग के ध्यान में नहीं आया है; और यह कि उनके सामने प्रस्तुत किए गए बिल ऑनलाइन दायर किए गए बिलों की हार्ड कॉपी है; और यह कि अगर कहीं सीटीएच की गलत घोषणा की जाती है, तो मूल्यनिरूपण द्वारा सीटीएच को

ठीक करने के लिए इसका संशोधन किया जाता है और इसके बाद इसे संबंधित एजेंसी की पंक्ति में डाला जाता है तथा गलत घोषणा, यदि कोई हो, तो उसे काफी हद तक ठीक किया जाता है।

Sri.D.Paul (AC) /Smt Prameela Rose(AC) informed that no such matter had come to the notice of the Department; that the bills produced before them would be hard copy of the bills filed online; that when there was a mis-declaration of CTH, the same was amended to correct CTH by appraising and thereafter it is moved to the queue of the concerned agency and mis-declaration, if any, was corrected to the maximum extent.

अध्यक्ष महोदय ने अपना मत व्यक्त किया कि श्री जे. रघुपति द्वारा उल्लेख किए अनुसार जानबुझकर गलत घोषणा करने के मामलों के प्रति सावधान रहना चाहिए।

The Chair opined that a look out should be maintained for cases of intentional mis-declaration by the importers, as pointed out by Sri.J.Raghupathy.

<u>बिंदु 3: सीएसईजेड बि/ई मैनुअल बिल हैं इन्हें सिंगल विंडों में शामिल नहीं किया गया है।</u>

<u>POINT 3:CSEZ B/E ARE MANUAL BILLS NOT INCLUDED IN SINGLE WINDOW</u>

श्री .....: सीएसईजेड कारगो को की निकासी के लिए दायर किए गए आगम पत्रों को सिंगल विंडो प्रणाली में शामिल नहीं किया गया है।

Sri.---------: Bills of entry filed for clearance of CSEZ cargo was not included in the Single Window system

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि एसईजेड को सिंगल विंडो परियोजना में शामिल नहीं किया गया है; और यह कि वे बिल एसईजेड ऑन-लाइन बिल हैं; एसईजेड नेटवर्क को ईडीआई आईसीईएस, जो सिंगल विंडो निकासी प्रणाली के तहत काम कर रहा है, से लिंक नहीं किया गया हैं

The Chair informed that SEZ is not included in the Single Window Project; that those bills are SEZ on-line bills; that the SEZ network is not linked to the EDI ICES which is functioning under the Single Window Clearance system.

<u>बिंदु 4: एफएसएसएआई निकासी के बिना आगम पत्रों की निकासी करना</u>

<u>POINT 4:BILLS OF ENTRY CLEARED WITHOUT FSSAI CLEARANCE</u>

डॉ. गेस्टो जोर्ज: कुछ आगम पत्रों की निकासी एफएसएसएआई द्वारा एनओसी दिए बिना भी हो जाती है। भले ही ऑन लाइन स्टेटस यह दिखा रहा हो कि इन आगम पत्रों के लिए एफएसएसएआई से निकासी ज़रूरी है और इन्हें पंक्ति में भी दिखा रहा है, फिर भी अकसर यह देखा गया है कि एफएसएसएआई द्वारा इनको निकासी न दिए जाने के बावजूद सीमाशुल्क विभाग ने इसे आउट ऑफ कस्टम्स चार्ज दे दिया है। एफएसएसएआई द्वारा उल्लंघन करने वालों की एक सूची अग्रेषित करने के बाद भी सीमाशुल्क विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

Dr.Gesto George: Certain Bills of Entry was getting cleared even without the FSSAI granting NOC. Though the on-line status showed that the bills of entry required clearance from FSSAI and was in the queue, often it was found that the Customs department granted Out of Customs Charge despite FSSAI not clearing the same. Though FSSAI had forwarded a list of violators, no action had been taken by the Customs department.

श्रीमती प्रमीला रोस (सहा.आयुक्त) ने सूचित किया कि पूर्व प्राधिकरण योजना के तहत आयातित माल को एफएसएसएआई की अनिवार्य निकासी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए केवल उन्हीं माल को ओओसी प्रदान की गई थी; और यह भी कि किसी दूसरे माल को एफएसएसएआई द्वारा एनओसी प्रदान किए बिना निकासी नहीं दी गई है।

Smt Prameela Rose(AC) informed that since consignments imported under the advance authorization scheme did not require mandatory clearance from the FSSAI, only those consignments were granted OOC; that no other consignments were cleared without FSSAI granting NOC.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि एफएसएसआई द्वारा संदर्भित पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। इसकी प्रति दुबारा भेजने का अनुरोध किया गया और अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि एफएसएसएआई से सूची प्राप्त होने के बाद मामले की जांच की जाएगी।

The Chair informed that the communication as referred by the FSSAI was not received by the department. It was requested to re-send a copy, and the Chair assured that the matter would be looked into once the list was received from the FSSAI.

बिंदु 5 : माउंटेड डोर स्किन- क्या पीक्यू निकासी आवश्यक है

POINT 5: MOUNTED DOOR SKIN-WHETHER PQ CLEARANCE NECESSARY

श्री डी. अय्यनार: माउंटेड डोर स्किन का बहुत मात्रा में आयात हो रहा है, क्या ऐसे माल के लिए पीक्यू द्वारा निकासी की आवश्यकता है।

Sri.D.Iyyanar: There was several import of mounted door skin, whether such consignments required clearance by PQ

श्री डी. पॉल (सहा. आयुक्त) ने सूचित किया कि उक्त वस्तु प्रसंस्कृतप्रसंस्कृत वुड पल्प से बनाई जाती है जिसमें भीतरी भाग एडीएफपी के समान प्रसंस्कृत वुड पल्प होता है और इसके बाहरी भाग पर पीवीसी की कवरिंग होती है।

Sri.D.Paul (AC) informed that said item was made of processed wood pulp wherein the inner core was processed wood pulp similar to the MDFP and had an outer skin covering of PVC.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि इस माल के लिए पीक्यू की निकासी अपेक्षित नहीं है।

The Chair informed that the material did not require clearance by the PQ.

श्री के.टी. जयराजन: वस्त्र समिति ने सूचित किया कि कोचिन में लगाई जा रही परीक्षण सुविधाओं के शुरू होने में कुछ और समय लगेगा।

Sri.K.T.Jayarajan: Textile Committee informed that the testing facilities being set up in Cochin would take some more time for

चर्चा के लिए कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाए जाने के कारण, अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की।
Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed with a word of thanks.

सीमाशुल्क निकासी सुविधा समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in. के माध्यम से सूचित की जाएगी। चर्चा के लिए यदि कोई मुद्दे हों, तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई-मेल ccu@cochincustoms.gov.in/ ccucochin@gmail.com. के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Customs Clearance Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in / ccucochin@gmail.com.

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)
आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/1/2015 – CCU Cus.
तारीख Dated:09.05.2016

प्रस्तुत Submitted to:

The Chief Commissioner of Central Excise,Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner
All D.Cs & A.Cs
All members